अ धि सू च ना

क्रमांक : 13.../स्था.प/2014 दिनांक : 01-09-2014

इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5/स्था.प/2014 दिनांक 29.05.2014 में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, जिन्हे कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F.3/2(1)Pers/A-I/2014 दिनांक 23.07.2014 द्वारा उनके नाम के आगे अंकित जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में जो उनके न्यायिक प्रशिक्षण की अवधि में संबंधित जिले के सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्तरित किये जायेंगे, संहिता के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की प्रदत्त सभी शक्तियां उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से एक वर्ष या उनकी परिवीक्षाधीन अवधि, जो भी पूर्व हो, तक प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	Shri Ashish Gupta	Pali
2.	Shri Arvind Kumar Poswal	Udaipur
3.	Shri Alok Ranjan	Bikaner
4.	Shri Ansh Deep	Jodhpur
5.	Shri Nathmal Didel	Jalore
6.	Shri Gawande Pradeep Keshaorao	Bundi
7.	Shri Kana Ram	Jhunjhunu
8.	Shri Ngikya Gohain	Barmer

आज्ञा से,

30/8/2014

(बलदेव राम)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : Gen./XV/38/75/ 3566 दिनांक : 01/09/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक F.3/2(1)Pers/A-I/2014 दिनांक 23.07.2014 के सन्दर्भ में ।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/जालोर/बूंदी/झुंझुनू/बालोतरा ।
4. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/जालोर/बूंदी/झुंझुनू/बाड़मेर ।
5. निदेशक, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
6. जिलाधीश, पाली/उदयपुर/ बीकानेर/जोधपुर/जालोर/बूंदी/झुंझुनू/बाड़मेर ।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।

30/8/2014
रजिस्ट्रार (प्रशासन)